# MODEL ANSWER

**Q. Discuss the powers of the Vice President of India and the procedure for his impeachment.**

The Vice President of India, as the second-highest constitutional office after the President, plays a pivotal role in the governance structure. While the position is largely ceremonial, it carries significant functions, particularly as the Chairman of the Rajya Sabha and in temporarily assuming the powers of the President in case of a vacancy. This office is not only essential for the smooth functioning of Parliament but also holds the responsibility of acting as the President in specific situations.

**Powers of the Vice President of India**

1. The Vice President serves as the ex-officio Chairman of the Rajya Sabha, where his primary responsibilities include overseeing the legislative proceedings and ensuring order during debates. This role is in accordance with the provisions outlined in Article 64.
2. In the event that the President's office becomes vacant due to death, resignation, or other reasons, the Vice President assumes the duties of the President temporarily. However, this period cannot exceed six months, during which a new President must be elected, as stipulated by Article 65.
3. The Vice President temporarily discharges the functions of the President if the President is incapacitated or absent due to illness or other causes. During this period, the Vice President does not perform his duties as Chairman of the Rajya Sabha, which are taken over by the Deputy Chairman, as per the constitutional provisions in Article 65.
4. Although the Vice President is not a member of the Rajya Sabha, he can cast a vote in the event of a tie during the proceedings of the House. This special provision ensures that legislative work can proceed without deadlock.
5. The Vice President, in his capacity as the Chairman of the Rajya Sabha, is responsible for appointing the Chairman and members of the various committees of the Rajya Sabha.

**Impeachment Procedure of the Vice President of India**

1. **Initiation of Removal**: The Vice President may be removed from office through a resolution passed in the Rajya Sabha. This resolution requires approval by an effective majority in the Rajya Sabha and a simple majority in the Lok Sabha.
2. **Notice Requirement**: A resolution for the removal of the Vice President can only be introduced after a minimum of 14 days' notice, ensuring that due process is followed.
3. **No Formal Impeachment**: Unlike the President, the Vice President does not undergo a formal impeachment procedure. The removal process is conducted through a special resolution in Parliament, as outlined in the constitutional framework.

The Vice President of India holds a pivotal role in both the functioning of Parliament and the executive structure of the country. His powers, particularly as the Chairman of the Rajya Sabha and as the acting President, make him a crucial figure in maintaining constitutional continuity. While the impeachment of the Vice President is an uncommon occurrence, the established procedure ensures accountability, requiring the approval of both houses of Parliament for his removal.

**प्रश्न: भारत के उपराष्ट्रपति की शक्तियों और उनके महाभियोग की प्रक्रिया पर चर्चा कीजिए।**

भारत के उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति के बाद दूसरे सबसे बड़े संवैधानिक पद के रूप में, शासन संरचना में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हालाँकि यह पद काफी हद तक औपचारिक होता है, लेकिन इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कार्य भी हैं, विशेष रूप से राज्यसभा के सभापति के रूप में और रिक्ति के मामले में राष्ट्रपति की शक्तियों को अस्थायी रूप से संभालने के लिए। यह कार्यालय न केवल संसद के सुचारू संचालन के लिए आवश्यक है, बल्कि विशिष्ट परिस्थितियों में राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने की जिम्मेदारी भी रखता है।

**भारत के उपराष्ट्रपति की शक्तियाँ**

1. उपराष्ट्रपति राज्य सभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करते हैं, जहाँ उनकी प्राथमिक जिम्मेदारियों में विधायी कार्यवाही की देखरेख करना एवं बहस के दौरान व्यवस्था सुनिश्चित करना शामिल है। यह भूमिका अनुच्छेद 64 में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार है।
2. यदि राष्ट्रपति का पद मृत्यु, त्यागपत्र या अन्य कुछ कारणों से रिक्त हो जाता है, तो उपराष्ट्रपति अस्थायी रूप से राष्ट्रपति के कर्तव्यों को संभालते हैं। हालाँकि, यह अवधि छह महीने से अधिक नहीं हो सकती है, जिसके दौरान अनुच्छेद 65 के अनुसार एक नए राष्ट्रपति को चुना जाना चाहिए।
3. यदि राष्ट्रपति बीमारी या अन्य कारणों से अक्षम या अनुपस्थित हो जाते हैं, तो उपराष्ट्रपति अस्थायी रूप से राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करते हैं। इस अवधि के दौरान, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करते हैं, जो अनुच्छेद 65 में संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार उपसभापति द्वारा संभाला जाता है।
4. यद्यपि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्य नहीं है, लेकिन सदन की कार्यवाही के दौरान बराबरी की स्थिति में वह वोट डाल सकते हैं। यह विशेष प्रावधान सुनिश्चित करता है कि विधायी कार्य बिना गतिरोध के आगे बढ़ सकें।
5. उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के सभापति के रूप में अपनी क्षमता में, राज्यसभा की विभिन्न समितियों के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए जिम्मेदार हैं।

**भारत के उपराष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया**

1. **हटाने की शुरुआत:** उपराष्ट्रपति को राज्य सभा में पारित प्रस्ताव के माध्यम से पद से हटाया जा सकता है। इस प्रस्ताव को राज्य सभा में प्रभावी बहुमत और लोक सभा में साधारण बहुमत से मंजूरी की आवश्यकता होती है।
2. **नोटिस की आवश्यकता:** उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव न्यूनतम 14 दिनों के नोटिस के बाद ही पेश किया जा सकता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि उचित प्रक्रिया का पालन किया गया है।
3. **कोई औपचारिक महाभियोग नहीं:** राष्ट्रपति के विपरीत, उपराष्ट्रपति को औपचारिक महाभियोग प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ता है। हटाने की प्रक्रिया संसद में एक विशेष प्रस्ताव के माध्यम से आयोजित की जाती है, जैसा कि संवैधानिक ढांचे में उल्लिखित है।

भारत के उपराष्ट्रपति संसद के कामकाज और देश की कार्यकारी संरचना दोनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनकी शक्तियाँ, विशेष रूप से राज्यसभा के सभापति और कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में, उन्हें संवैधानिक निरंतरता बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बनाती हैं। हालाँकि उपराष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना एक असामान्य घटना है, लेकिन स्थापित प्रक्रिया जवाबदेही सुनिश्चित करती है, जिसके तहत उन्हें हटाने के लिए संसद के दोनों सदनों की स्वीकृति की आवश्यकता होती है।